रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 1997/पौष 26, 1918
No. 35] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 1997/PAUSA 26, 1918

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1997

का. आ. 44 (अ).—जबकि बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, (1984 का 51) की धारा 36 के अन्तर्गत प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बहु राज्य सहकारी समितियों के अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उप सभापति का पदभार एक ही समय धारित करने का पात्र नहीं होगा;

और, जबकि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (जिसे एतद्पश्चात भा. रा. स. सं. कहा गया है) ने केन्द्र सरकार को अभिवेदन दिया था कि भा. रा. स. सं. के अध्यक्ष श्री बी. एस. विश्वनाथन को 3 फरवरी, 1994 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक (जिसे एतद्पश्चात भा. रा. स. बैंक कहा गया है) का सभापति भी चुना गया है और भा. रा. स. सं. ने भा. रा. स. बैं. को, जो कि अभी भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है, बढ़ावा दिया है और भा. रा. स. सं. के अध्यक्ष द्वारा भा. रा. स. बैं. के अंश पूंजी आधार में वृद्धि करने तथा बैंक संबंधी कारोबार के लिये भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाये जाने की संभावना है;

और, जबकि भा. रा. स. सं. की अधिशासी परिषद के अनुरोध पर विचार किया गया है और भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की दिनांक 1 फरवरी, 1995 की अधिसूचना सं. सा. का.-72 (ई) के अन्तर्गत भा. रा. स. सं. तथा भा. रा. स. बैंक को चयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों को लागू करने से छूट दी गई है;

और, जबकि पुनः यह अनुरोध किया गया है कि भा. रा. स. बैं. का प्रशासनिक कार्यालय मुम्बई में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिये जाने वाले परिसर में स्थापित किया जा रहा है और, इसके अलावा, कुछ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी बैंकिंग संस्थानों ने सहकारी वित्त-पोषण पद्धति का विकास करने के लिये भा. रा. स. बैं. के साथ नजदीकी सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है और जबकि कारोबार की देखभाल के लिये लाइसेंस जारी करने में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ और समय लगने की सम्भावना है ;

और, जबकि उपर्युक्त कारणों से कृषि तथा सहकारिता विभाग ने उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के भा. रा. स. सं. तथा भा. रा. स. बैं. को 3 फरवरी, 1996 के पश्चात् 3 फरवरी, 1998 तक छूट देने को समीचीन माना है।

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 99 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भा. रा. स. सं. तथा भा. रा. स. बैं. को एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों से 3 फरवरी, 1996 से 3 फरवरी, 1998 तक दो वर्षों तक अवधि के लिए छूट देती है।

[एफ. सं. आर 11017/7/94-एल. एण्ड एम.]

मोहन कन्दा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 16th January, 1997

S. O. 44 (E).—Whereas section 36 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984) hereinafter referred as the said Act provide that no person shall be eligible to hold, at the same time, office of a President or chairman or vice president or vice-chairman on the board of more than one multi-State co-operative society ;

And whereas the National Cooperative Union of India (hereinafter referred to as NCUI) had represented to the Central Government that Shri B. S. Vishwanathan, the President of NCUI had also been elected as Chairman of National Coopretative Bank of India (hereinafter referred to as NCBI) on the 3rd February, 1994 and that the NCUI promoted NCBI which is still in its infancy and the President of NCUI is likely to play an active role in augmenting the share capital base of NCBI and obtaining licence from Reserve Bank of India for banking business ;

And Whereas the request of the Governing Council of NCUI was considered and exemption from the application of section 36 of the said Act was granted to NCUI and NCBI for a period of one year from the date of election vide Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture No. S. O. 72 (E) dated the 1st February, 1995 ;

And whereas it has again been requested that the administrative office of the NCBI is being set up in Bombay in the Premises to be given by the Maharashtra State Co-operative Bank. Besides, a few prominent international cooperative banking institutions have expressed their keen desire to establish close collaboration with NCBI for the development of cooperative financing system and that the Reserve Bank of India is likely to take some more time for granting licence for handling business;

And whereas for the aforementioned reasons, the Department of Agriculture and Co-operation has considered expedient further to exempt the NCUI and NCBI beyond 3rd February, 1996 up to 3rd February, 1998 from the provisions of section 36 of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the said Act, the Central Government hereby exempt the NCUI and NCBI from the provisions of section 36 of the said Act for a period of two years from 3rd February, 1996 up to 3rd February, 1998.

[F. No. R-11017/7/94-L&M]

MOHAN KANDA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1997

का. आ. 45 (अ).—जबकि बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (1984 का 51) जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 37 के तहत यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड के अध्यक्ष या सभापति या उपाध्यक्ष या उपसभापति का पद धारित करने का उस स्थिति में पात्र नहीं होगा यदि वह दो लगातार कार्य-कालों के दौरान, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उपर्युक्त पद धारित कर चुका हो;

और,जबकि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली (जिसे एतद्पश्चात सोसाइटी कहा गया है) ने केन्द्र सरकार को अभिवेदन किया है कि भारतीय सहकारी समितियों के मजबूत तथा आत्म-निर्भर शीर्षस्थ निकाय के रूप में इस सोसाइटी का विकास करने के लिए श्री बी. एस. विश्वनाथन को सोसाइटी का सभापति तीसरी बार भी बनाना आवश्यक है;

और जबकि केन्द्र सरकार सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त सोसाइटी को उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों से तब तक छूट देना समीचीन होगा, जब तक प्रबन्ध के कार्य काल को तीन वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने और पद-धारण पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने हेतु बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करने के लिये भा. रा. स. सं. के अनुरोध पर विचार नहीं कर लिया जाता है ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 99 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपर्युक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त सोसाइटी को 30 मार्च, 1996 से 30 मार्च 1998 तक दो वर्षों की अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों से छूट देती है।

[एफ. सं.-आर 11017/7/94-एल. एण्ड एम.]

मोहन कन्दा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 1997

S. O. 45 (E).—Whereas Section 37 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984) hereinafter referred to as the said Act provides that no person shall be eligible to hold the office of a President or chairman or vice-president or vice-chairman on the board of a Multi-State Co-operative Society, after he has held the office as aforesaid during two consecutive terms, whether full or part ;

And whereas the National Cooperative Union of India, New Delhi (hereinafter referred to as the society) has represented to the Central Government that the continuation of Shri B. S. Vishwanathan, Chairman of the society for the third term is necessary to make the society strong and self reliant apex body of Indian Cooperatives ;

And whereas the Central Government after careful consideration is satisfied that it will be expedient to exempt the said society from the provisions of section 37 of the Act pending request of NCUI for amendment of Multi-State Co-operative Societies Act to extend the term of management from three to five years and removal of restriction on holding of offices;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 99 of the said Act and for the reasons stated above the Central Government hereby, exempts the said society from the provisions of section 37 of the said Act for a period of two years from 30th March, 1996 up to 30th March, 1998.

[F. No. R-11017/7/94-L&M]

MOHAN KANDA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997.